मॉ बाल सुन्दरी श्री चैती मेला वर्ष 2018 हेतु मेला परिसर में निर्माण किये जाने वाले अस्थायी टिन शैडो हेतु नियम एंव शर्ते

1– मां बाल सुन्दरी चैती मेला वर्ष 2018 हेतु मेला परिसर में मेला कमेटी के निर्देशानुसार लगभग 7X9 फीट के सम्भावित टिन शैडो का निर्माण किया जाना होगा, जिस हेतु दिनांक 14.03.2018 को पूर्वाहन 10:00 बजे से 02:00 बजे नगर निगम परिसर मे सीलबन्द निविदायें आमंत्रित की जायेगी है, तथा निविदा डाले जाने का समय उसी दिन अपराहन 03:00 बजे डाली जानी है, जो कि उसी दिनांक को अपरान्ह 04:00 बजे श्री चैती मेला कमेटी के द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी। इच्छुक अस्थायी टिन शैड निर्माण करने वाली संस्थाओं/कम्पनी/निर्माता दिनांक 14.03.2018 को समय 10:00 बजे से 02:00 बजे तक नगर निगम, काशीपुर के कक्ष संख्या 10 से रू0 1000/– (एक हजार रूपयें) तथा 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 शुल्क नगद भुगतान कर निविदा प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं।

2– उक्तानुसार टिन शैडों का निर्माण सम्भावित 06 सेक्टरों में किया जाना होगा।

3– निर्माण किये जाने वाले अस्थायी टिन शैडो की संख्या लगभग 700 होगी, जो कि आवश्यकतानुसार बढायी या घटायी जा सकती है।

4– किये गये अस्थायी टिन शैडो निर्माण 27 दिवसो तक अर्थात दिनांक 15.04.2018 तक यथावत रहेंगे। इसके उपरान्त निर्माण किये गये टिन शैडो को उखाडने व ले जाने की जिम्मेदारी निर्माताादाता की होगी।

5– अस्थायी टिन शैडों की निर्माण सामग्री लाने/ले जाने की जिम्मेदारी स्वयं निर्माण करने वाली संस्था/कम्पनी/निर्माता की होगी।

6– उक्त अस्थायी टिन शैडो के रखरखाव की जिम्मेदारी निर्माण करने वाली संस्था/कम्पनी/निर्माता की होगी।

7– उपरोक्त अस्थायी टिन शैडो हेतु जारी की गयी निविदा के साथ 50000/– (पचास हजार रुपये) का बैंक ड्राफ्ट लगाया जाना अनिवार्य होगा, जो मेलाधिकारी/नगर आयुक्त, नगर निगम काशीपुर के नाम देय होगा।

8– निर्माताादाता का जी0एस0टी0 पंजीकरण, पैन कार्ड, आधार कार्ड बैध बैंक खाता विवरण होना अनिवार्य होगा, जिसकी स्वप्रमाणित प्रति निविदा प्रपत्र के साथ लगायी जानी होगी।

9– उक्त कार्य से सम्बन्धित एक अनुभव प्रमाण–पत्र/कार्यादेश की प्रति निविदा प्रपत्र के साथ जमा की जानी अनिवार्य होगी।

10– निर्माताादाता को समयान्तर्गत कार्य सम्पन्न कराया जाना अनिवार्य होगा।

11– निर्माताादाता का विगत 03 वर्षो में टर्न–ओवर लगभग 25.00 होना चाहियें।

12– अनुबन्ध हेतु 100/– का नॉन–ज्यूडीशियल हस्ताक्षरयुक्त स्टाम्प पेपर लगाना होगा।

13– कार्य संतोषजनक एंव तकनीकी परीक्षणोपरान्त मेलाधिकारी/नगर आयुक्त, नगर निगम काशीपुर की संस्तुति पर ही भुगतान किया जा सकेगा।

14– किये गये कार्य के ऐवज में 80 प्रतिशत भुगतान निर्माण कार्य पूर्ण होने पर तथा शेष धनराशि मेला अवधि समाप्त होने के 01 सप्ताह पश्चात भुगतान की जायेगी।

15– किसी भी वाद–विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र–ऊधमसिंहनगर होगा।

(कृष्ण कुमार मिश्र)
पी0सी0एस0
मेलाधिकारी/नगर आयुक्त
चेती मेला/नगर निगम काशीपुर

हस्ताक्षर निविदादाता/निर्माणदाता
नाम–
पता–
मोबाईल सं0–